

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : एफ 2(6) संस्था/रालोसेआ /16-17/

दिनांक :06.11.2020

कार्यालय आदेश

आयोग कार्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 उत्तीर्ण करने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में न्यूनतम नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राशि रू. 14600/- प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर लिपिक ग्रेड-II पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का वर्ग	चयन वर्ग	आयोग हेतु अस्थाई आरक्षित सूची क्रमांक	जन्म दिनांक
1	श्री वेद प्रकाश शर्मा	सामान्य	सामान्य	R-1	24.01.1993
2	श्री रोहित आचार्य	सामान्य	सामान्य	R-2	20.08.1996
3	श्री मगन लाल उपाध्याय	सामान्य	सामान्य	R-3	04.10.1989
4	श्री नरेन्द्र कुमार	ओबीसी	ओबीसी	R-4	15.04.1996
5	कु. निकिता पाण्डेय	सामान्य	सामान्य	R-5	10.08.1999
6	श्री मानसिंह मीना	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	R-6	05.07.1988

शर्तें:-

- उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय सत्यापित प्रतियों के प्रस्तुत करना होगा, ताकि आयोग स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
- परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही लिपिक ग्रेड-II पद की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।
- परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- शासन के कार्मिक (क-2) विभाग, राज0, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.06.03 के तहत दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती/नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- वित्त विभाग (नियम डिवीजन), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 14.01.04 के अनुसार दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती/नियुक्ति पर राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2008 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है। उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- उपरोक्त नियुक्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता/आयु/वर्ग/अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यक्षीन रहेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ-पत्र/धूम्रपान नहीं करने/दहेज नहीं लेने/दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ-पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन संबंधी कार्यवाही आयोग में कार्यग्रहण के उपरान्त की जावेगी तथा पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

15. उक्त सूची में अंकित क्रम संख्या ही आयोग में चयनित अभ्यर्थियों का अस्थाई आरक्षित सूची क्रमांक है। भर्ती प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गई स्थाई आरक्षित सूची क्रमांक ही आयोग की स्थाई आरक्षित सूची मान्य होगी। तदनुसार ही उक्त आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आयोग हेतु उक्त भर्ती परीक्षा के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नीचे आरक्षित सूची क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी।
16. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव एवं
कार्यवाहक सचिव